खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 3518 /ब.आ.प./2007–2008/दे.दून/दिनांक 02–नवम्बर, 2007

जिला क्रीड़ा अधिकारी,
देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण हेतु 15.20 हेक्टेयर वन भूमि का खेल विभाग को हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–345/VI-I/2007–4 (खेल)/2004 दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण हेतु 15.20 हेक्टेयर वन भूमि खेल विभाग को हस्तानान्तरण हेतु आवश्यक धनराशि रू. 1,17,10,240.00 (रू. एक करोड़ सत्रह लाख दस हजार दो सौ चालीस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित मदों हेतु उल्लखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1.	एन.पी.वी.	–	रू. 88,16,000.00
2.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	–	रू. 15,38,240.00
3.	हाथी कारीडोर एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु देय धनराशि	–	रू. 8,00,000.00
4.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की धनराशि	–	रू 15.000.00
5.	सीमांकन हेतु आर.सी.सी. पिलर	–	रू. 41,000.00
6.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण	–	रू. 5,00,000.00
	योग	–	रू. 1,17,10,240

उपरोक्त मदों के क्रम संख्या–1, 2 व 6 में उल्लखित धनराशि का पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट compensatory Afforestation Fund, Uttaranchal A/c CA 1594 (Payable at New Delhi) के पक्ष में एवं क्रम संख्या–3, 4 एवं 5 पर उल्लखित धनराशि को सम्मलित करते हुये एक बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी, वन प्रभाग, हल्द्वानी के पक्ष में बनवाया जाय।

1. प्रत्येक मद पद उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्मा है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
2. कार्यवाही कराने से पूर्व स्थल की भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
3. जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा हो। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे वयय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय। उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–00–102–खेलकूद स्टेडियम (लघुशीर्षक 108 के स्थान पर)–07–हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य आयोजनागत (राज्य सैक्टर) पक्ष के नामे डाला जायेगा।

अतः आप स्वीकृत धनराशि को आहरित करते हुये बैंक ड्राफ्ट बनवाकर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त बजट, बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ संख्या (61) पर अंकित कर लिया गया।

(एन.एस. नेगी)
निदेशक खेल

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. सहायक निदेशक खेल, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. एन.आई.सी. सचिवालय, देहरादून।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

(आर.के चतुर्वेदी)
अपर निदेशक खेल